भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4328

18 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

खाद्य सुरक्षा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

4328. श्री योगेन्द्र चांदोलिया :
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:
श्री राजकुमार चाहर:
श्री बलभद्र माझी:
श्रीमती संजना जाटव:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री गोपाल जी ठाकुर:
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:
श्री तेजस्वी सूर्या:
डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को वर्ष 2029 तक बढ़ाने के लिए वित्तीय एवं व्यय संबंधी रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष रूप से महाराष्ट्र तथा जलगांव जिले के लिए खाद्यान्न का कितना आवंटन किया गया है तथा अनुमानित लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) देश में विशेषकर ओडिशा के नबरंगपुर एवं जनजातीय क्षेत्रों तथा भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के जिलों में 81.35 करोड़ स्वीकृत लाभार्थियों तथा वर्तमान में चिह्नित 80.6 करोड़ लोगों के बीच के अंतर को कम करके सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) हाल ही में न्यायिक टिप्पणियों को देखते हुए दशकीय जनगणना के अभाव में लाभार्थी सूची को अद्यतन करने हेतु क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं तथा देश में ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों की पहचान करने में इसकी क्या भूमिका है;

(ड.) क्या सरकार ने फरवरी, 2026 की समय-सीमा तक देशभर में सभी सक्रिय राशन कार्डों के लिए शत-प्रतिशत आधार सीडिंग तथा ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है;

...2/-

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विशेषकर महाराष्ट्र, ओडिशा के नबरंगपुर और जनजातीय क्षेत्रों, सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर जिले की स्थिति क्या है; और

(छ) जहाँ लक्ष्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं, वहाँ कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों के वित्तीय भार को कम करने और राष्ट्रव्यापी एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत दिनांक 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए लाभार्थियों, अर्थात् अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया था। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि को अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात 1 जनवरी, 2024 से बढ़ा दिया गया है, जिसका अनुमानित वित्तीय व्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है, जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वर्तमान में, पीएमजीकेएवाई को 31 दिसंबर 2028 के बाद बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख): वर्तमान में, महाराष्ट्र राज्य और जलगाँव जिले में निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 6,76,61,974 और 27,69,746 है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई लाभार्थियों की पहचान के आधार पर, महाराष्ट्र राज्य को प्रति माह 383766 टन खाद्यान्न आवंटित किया जा रहा है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिलावार आवंटन किया जा रहा है।

(ग) और (घ): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) में 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने का प्रावधान है, जिससे निम्नतम आबादी का लगभग 67% हिस्सा कवर होता है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ है। अधिनियम के अंतर्गत कवरेज काफी अधिक है ताकि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल सके।

वर्तमान में, 81.35 करोड़ व्यक्तियों को कवर करने के लक्ष्य की तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 79.40 करोड़ व्यक्तियों की पहचान की है, जो लक्ष्य अर्थात 81.35 करोड़ व्यक्तियों का लगभग 97.60% है। फिर भी, पीएमजीकेएवाई के तहत 1.95 करोड़ और लाभार्थियों की पहचान करने की गुंजाइश है।

...3/-

केंद्र सरकार ने ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर परामर्शिका जारी की है कि वे एनएफएसए के अंतर्गत सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों, जिनमें समाज के कमजोर वर्ग भी शामिल हैं, की पहचान करें। राज्य अपने लाभार्थी डाटाबेस को अद्यतन करते हैं ताकि अपात्र राशन कार्ड हटाए जा सकें और सही लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके। इस प्रकार, अपात्र लाभार्थियों को हटाना और पात्र लाभार्थियों को जोड़ना अधिनियम के अंतर्गत एक सतत प्रक्रिया है।

(ङ) से (छ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सरकार की डिजिटल पहलों के अंतर्गत, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस का 100% डिजिटलीकरण कर दिया गया है, जिसमें 99.7% राशन कार्ड आधार से जुड़े हुए हैं और 99.2% लाभार्थी आधार से जुड़े हुए हैं। दिनांक 31.01.2026 तक, देश भर में पीडीएस लाभार्थियों में से 87.37% का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है।

ओडिशा (नबरंगपुर और आदिवासी क्षेत्रों सहित) और मध्य प्रदेश (सीधी निर्वाचन क्षेत्र और देवास-शाजापुर जिले सहित) के सभी राशन कार्डों को आधार से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा, ओडिशा राज्य में 97.10% पीडीएस लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। साथ ही, मध्य प्रदेश राज्य में 93.18% पीडीएस लाभार्थियों का ई-केवाईसी भी पूरा हो चुका है।
